उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी

यूपीडा

सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

0522–2307542 / 2307592, फैक्स: 0522–4013560, इमेल.upeida2@gmail.com

पत्रांक 3179 / 1832 / यूपीडा / 22(वन) दिनांक 21 जुलाई, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:–यूपीडा द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ का पत्रांक 8बी0 / यू.पी. / 06 / 295 / 2021 / एफ.सी. / 133 दिनांक 16.06.2022 के द्वारा दी गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के अनुसार धनराशि को जमा करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:–आपका पत्रांक–3609 / 11–सी–FP/UP/Road/144793/2021 दिनांक 17.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित पत्र के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण में आ रहे 09 वन प्रभागों जिनके कार्यक्षेत्र में वन भूमि प्रभावित हो रही है को भारत सरकार के उपरोक्त विषयक सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 16.06.2022 की शर्त संख्या–5 (सी0ए0 की धनराशि), शर्त संख्या–6 (एन0पी0वी0 की धनराशि) एवं शर्त संख्या–18 (सीमा पत्थर / डिमार्केशन के सम्बन्ध में) यूजर एजेन्सी को वन विभाग की मांग के अनुरूप धनराशि जमा करने के आदेश दिये गये है, तत्क्रम में आपके द्वारा प्रेषित संदर्भित पत्र के अनुपालन में सम्बन्धित समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों के द्वारा यूपीडा को प्रेषित मांग पत्र प्राप्त हुआ है, जिसका विवरण निम्न सारिणी में प्रस्तुत किया जा रहा है:–

क्र0सं0	वन प्रभाग का नाम	सी0ए0 की धनराशि (रू0 में) शर्त सं0–5	एन0पी0वी0 की धनराशि (रू0 में) शर्त सं0–6	सर्वे व सीमांकन धनराशि (रू0 में) शर्त सं0–18	कुल धनराशि (रू0 में)	प्रभागीय वनाधिकारी के डिमाण्ड लेटर का पत्रांक / दिनांक
1	हापुड़	0	2499198	0	2499198	4333 / 14–1, 30.06.2022
2	अमरोहा	1023000	1609070	380000	3012070	42 / 14–1, 05.07.2022
3	सम्भल	0	3880925	0	3880925	2575 / 14–1, 27.06.2022
4	बदायूँ	0	4717737	0	4717737	2897, 25.06.2022
5	शाहजहांपुर	0	3742046	0	3742046	4869 / 14–1, 23.06.2022
6	हरदोई	3183390	6021851	108325	9313566	4339 / 14–1, 22.06.2022
7	उन्नाव	26116500	64922064	2166500	93205064	74 / 14–1, 07.07.2022
8	रायबरेली	8404342	28471543	1285500	38161385	11 / 14–10–4, 01.07.2022
9	प्रतापगढ़	0	1029518	0	1029518	3619 / 15–1, 24.06.2022
10	चित्रकूट	37204600	0	0	37204600	4410 / 33–1, 29.06.2022
योग		**75931832**	**116893952**	**3940325**	**196766109**	

अतः प्रभागीय वनाधिकारियों के द्वारा भारत सरकार के द्वारा लगायी गयी शर्त संख्या–5, 6 व 18 के अनुसार प्रेषित मांग पत्र परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुए आपके द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अरूण कुमार राय)
डिप्टी कलेक्टर / अधिकृत अधिकारी,
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
यूपीडा, लखनऊ

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

Phone-0122-2300150 Fax-0122-2300150 E-mail-dfohapur@gmail.com

पत्रांक 4333 / 14-1, दिनांक, हापुड़, 30.06.2022।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी,
सी-13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषय: उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि पर बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एव बाधक 138 वृक्षो के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः भारत सरकार की पत्र सं0-8 बी / यू0पी0 / 06 / 295 / 2021 / एफ0सी0 / 133, दिनांक 16.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से निम्नलिखित आपत्तियां प्राप्त हुयी है। उक्त आपत्तियों का निस्तारण कर वांछित सूचना तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट कर ताकि प्रकरण मे अग्रिम कार्यवाही की जा सके। आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0 सं0	E.D.S	निराकरण
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
2.	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
3.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 94.4662 ha (NFL) non forest land in Districts Amroha, Hardoi, Unnao, Raibareily and 62.00 ha degraded forest land in District Chitrakoot at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.The details of area for CA is as follows	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
4.	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the nonforest land under Section 4 or Section 29 of the Ind ian Forest Act, 1927. or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval	सम्बन्धित वन प्रभाग धनराशि जमा कर चालान एवं पुष्टि संलग्न कर प्रेषित करने का कष्ट करें।
5.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by' the project authority. The CA plantation will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years	सम्बन्धित वन प्रभाग धनराशि जमा कर चालान एव पुष्टि सलग्न कर प्रेषित करने का कष्ट करें।
6.	The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 121.4716 ha. forest area to be Overted under this proposal from the User Agency as per the orders of	एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 2499198.00 जमा कर चालान एवं पुष्टि संलग्न कर प्रेषित करने का कष्ट करें।

	the Hon' ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No 566 in WP (C) NO 2021995 and as per the guidelines issued bv the Ministry vide letters No 5-1/1998-FC (Pt II) dated 6/09 2003 as well as letter No 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 evised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall De deposited by User Agency in this regard	
7.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
8	User agency shall restrict the felling of bare trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
9	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
10	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
11	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Agency according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju vis State of Rajasthan and others dated 16 11.2015	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
12	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas Forest Areas	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
13	The user agency shall provide suitable under over pass in Protected Area Forcst Area as per recommendations of CWLW/ NBWL FAC/ REC.	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
14	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
15	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Central Government.	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
16	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
17	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
18	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
19	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
20	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
21	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
22	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt of India	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
23	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
24	Since the stretch of this Expressway is through the districts along river Ganga thus the Forest Department shall prepare a	डॉल्फिन संरक्षण की परियोजना तैयार की

	management plan for conservation of Gangetic Dolphin apd funds for the same shall be realized from the user agency	जा रही है। तैयार परियोजना के आधार पर धनराशि की माँग पृथक से की जायेगी।
25	Scheme for plantation along both sides of the road shall be prepared by the State Forest Denartment and funds for raising plantation shall be realised from the user agency and plantation shall be done by the State Forest department	रोड साईड वृक्षारोपण हेतु रू0 68979120.00 की धनराशि जमा कर चालान एवं ऑनलाईन पुष्टि संलग्न कर प्रेषित करने का कष्ट करें।
26	Certificate needs to be submitted by the DFO Unnao that non forest land proposed for CA is non forest land and the same shall be rectified in DSS Portal of FSI.	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
27	The DFO shall certify that 1.68 ha. of non-forest land proposed for CA in Amroha district is contiguous to the Forest land	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
28	The user agency will ensure that while constructing the road, the hydrological regimes of the area through which the proposed road is passing, would not be adversely affected on account of creation of artificial barriers for wetlands/water bodies and stoppage for natural flow of waters, seasonal drains, channels and streams. The flow of water in the micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road. The user agency will submit a detailed plan in this regard approved by the concerned DFO.	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
29	The non forest land provided for CA in the proposal no 38153 of Bundelkhand expressway shall be notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitted.	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
30	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline f. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
31	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
32	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https:/parivesh.nic.in/).	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
33	The compliance report shall he uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in).	प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।

संलग्नक– रोड साईड वृक्षारोपण का प्राक्कलन।

भवदीय,

30/6/22

प्रभागीय वनाधिकारी

हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

पत्रांक : 4333 / 14–1, दिनांकित

प्रतिलिपिः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

30/6/22

प्रभागीय वनाधिकारी

हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा।

पत्रांक 42 /14–1 दिनांक,अमरोहा,जुलाई., 05, 2022

सेवा में,

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0, एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंन्ट अथारिटी,
लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/144793/2021

विषय :– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद
अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित
वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित
वनभूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.4216 हे0 संरक्षित
वनभूमि एव बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन,
बदायूं में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहांपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित
वनभूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं
हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात
परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 हे0 वनभूमि के
गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की पत्र संख्या 8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/133 दिनांक 16.06.2022।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र संख्या 3547/14–1, दिनांक 29.06.2022

महोदय

कृपया उपर्युक्त भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ की पत्र संख्या 8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/133 दिनांक 16.06.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 16.06.2022 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन आपसे वांछनीय है। कृपया निर्धारित शर्त संख्या 01 से 33 तक के सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 2501/11–सी दिनांक 24.06.2016 द्वारा प्रेषित निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या तथा मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 कैम्पा, लखनऊ की पत्र संख्या 384/2–37–2 (ई–पेमेन्ट पोर्टल) दिनांक 14.09.2015 में दिये गये निर्देशानुसार निम्न प्रकार धनराशि जमा कराने का कष्ट करें :–

1. अमरोहा वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.680 हे0 भूमि में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू0 10,23,000.00 ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा कराते हुए एक प्रति उपलब्ध करायी जायेगी।
2. अमरोहा में प्रभावित 1.680 हे0 आरक्षित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) के अनुसार वांछित धनराशि रूपये 1609070.00 (रूपये सौलह लाख, नौ हजार सत्तर मात्र) ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा कर पावति रसीद की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. अमरोहा वन अमरोहा हेतु प्राप्त गैर वनभूमि दौलतपुर जनूबी की तारबाढ से सुरक्षा हेतु रू0 380000.00 उ0प्र0 कैम्पा में जमा कराते हुए ई–चालान की प्रति इस कार्यालय इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
4. अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा के अन्तर्गत बाधक 3629 वृक्षों के छपान हेतु वांछित धनराशि (प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय के पत्रांक प–106/16–57(लाट) दिनांक 23.09.2014 के बिन्दु सं0 2 में हुये संशोधन के अनुसार रूपये 10/– प्रति वृक्ष के आधार पर) रूपये 36290/– का बैंक ड्राफ्ट जोकि प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा के पदनाम से देय हो इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के संदर्भित पत्र में दिये गये सभी बिन्दुओं की अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(देवमणि मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा

संख्या– / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0,लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि– वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(देवमणि मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

पत्रांक– 2575 / 14–1(कैम्प चन्दौसी) दिनांक, 27/06/ 2022।

सेवा में,

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0, एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी,
लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/144793/2021

विषय :– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.4216 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहांपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की पत्र संख्या 8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/133 दिनांक 16.06.2022।

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो अधोहस्ताक्षरी के साथ आपको भी पृष्ठांकित है का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जनपद सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 4023 प्रभावित राजकीय वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में कुल 33 शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार एवं भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण भवन अलीगंज, जोरवाग रोड, नई दिल्ली के पत्रांक–नं0–5–3/2011–एफ0सी0 (Vol-1) दिनांक–06.01.2022 के द्वारा रिवाईज की गयी शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) में कुल संरक्षित वन भूमि 4.052 हे0 के सापेक्ष मु0 धनराशि रू0 3880925/– ऑन लाईन पोर्टल द्वारा जनरेट चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा कराकर चालान की प्रति एवं पेमेंट हिस्ट्री इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

अतः उपरोक्त एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करते हुये सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्तों की अनुपालन आख्या यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

संख्या– 2575 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0,लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(अरविन्द कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
सम्भल वन प्रभाग, सम्भल।

9/c

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ
पत्रांक 2897/बदायूँ दिनांक 25 जून/2022

सेवा में,

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उ.प्र. एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी
लखनऊ।

विषय – उ.प्र. एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे. आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे. सरंक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे. आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे. संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे. आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे. संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे. संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे. संरक्षित वन भूमि एवं 1554 प्रभावित राजकीय वृक्ष के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे. संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे. संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे. आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे. संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे. आरक्षित वन भूमि तथा 30.6224 हे. संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे. वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बधक 167166 वृक्षों/पौधों की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र संख्या–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133 दिनांक 16.06.2022

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो अधोहस्ताक्षरी के साथ आपको भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जनपद बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे. संरक्षित वन भूमि एवं 1554 प्रभावित राजकीय वृक्ष के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में कुल 33 शर्तो के साथ सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

प्रयोक्ता अमिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार एवं भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली के पत्रांक–नं.5–3/2011–एफसी (Vol-1) दिनांक 06.01.2022 के द्वारा रिवाईज की गयी शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) में कुल संरक्षित वन भूमि 4.9257 हे के सापेक्ष मु. धनराशि रू0 4717737 /– ऑन लाइन पोर्टल द्वारा जनरेट चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा करायें तथा चालान की प्रति एवं पेमेन्ट हिस्ट्री इस कार्यालय को प्रेषित करें।

अतः उपरोक्त एन.पी.वी. की धनराशि जमा करते हुये सन्दर्भित पत्र में दिये गये शर्तो अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।

पत्रांक 2897/ दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ.प्र. लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निर्देशक बरेली वृत्त को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ।

OK

Scanned By KagazScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एंव वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

पत्रांक 4869 / 14–1 शाहजहांपुर दिनांक 23 / 06 / 2022

सेवा में,

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल अथारिटी,
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

विषय:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण मे जनपद अमरोहा मे प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वनभूमि एंव बाधक 3629 वृक्षो के पातन, प्रतापगढ मे प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वनभूमि एव बाधक 2716 वृक्षो के पातन, रायबरेली मे प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वनभूमि एंव बाधक 47258 वृक्षो के पातन, उन्नाव मे प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वनभूमि एव बाधक 106144 वृक्षो के पातन, बदायूं मे प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वनभूमि एंव बाधक 1554 वृक्षो के पातन, शाहजहाँपुर मे प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वनभूमि एव बाधक 865 वृक्षो के पातन, सम्भल मे प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एव बाधक 4023 वृक्षो के पातन एव हरदोई मे प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एव बाधक 138 वृक्षो के पातन अर्थात परियोजना मे प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एव बाधक 167166 वृक्षो/पौधो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध मे।

सन्दर्भ:– भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के कार्यालय पत्रॉक–8बी/यूपी/06/295/2021/एफ.सी./133, दिनॉक–16–06–2022 एव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रॉक–3609/11–सी–FP/UP/Road/ 144793/ 2021 दिनॉक–17–06–2022

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो अति0 मुख्य सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0 प्र0 शासन बापूभवन लखनऊ को सम्बोधित एव इस कार्यालय तथा आपको पृष्ठाकित है, के कम मे दिये गये निर्देशानुसार प्रकरण में वांछित बिन्दुओ की अनुपालन आख्या 05–05 प्रतियों मे पूर्ण कर इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

Condition No.	Condition	Status of Compliance
1	2	3
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में काई परिवर्तन नही किया जायेगा।
2	Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency	प्रभाग से वांछित नही है।
3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 94.4662 ha. (NFL) non forest land in Districts Amroha, Hardoi, Unnao, Raibaraily and 62.00 ha, degraded forest land in District Chitrakoot at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided. The details of area for CA is as follows	------
4	The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non- forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submited by the State Government prior to Stage-II approval	प्रभाग से वांछित नहीं है।
5	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by' the project authority. The'CA plantation will be maintained for 10 years. The schenme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	शर्त सं0–05 के कम मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित धनराशि उन्नाव वन प्रभाग द्वारा वांछित है।
6	The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 121.4716 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30 10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04 2008 and 09/05/ 2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202 1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.i) dated 1809/ 2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-PC dated 95 02/2009 Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि 3.907 हे0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य @ रू0 957780 (नौ लाख सत्तावन हजार सात सौ अस्सी रू0 मात्र) प्रति हे0 की दर से रू0 3742046 (सैंतीस लाख बियालीस हजार छियालीस रू0 मात्र) को ई–पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा की जायेगी।

D:\Staf.forest\sur\LATTER2.doc

Scanned with CamScanner

7	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due alter finalization of the same by the Hon ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Go vernment from the User Ageney. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बद्वता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि मा0 सर्वोच न्यायालय/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा यदि एन0पी0वी0 में कोई वृद्वि की जाती है तो वह उसे मान्य होगी।
8	User ageney shall restrict the felling of trees to 167166 trees minimum numbers in the diverted lorest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agenc) with the State Forest Department	शाहजहापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत 865 बाधक वृक्षो का पातन प्रस्तावित है।
9	The complete compliance of the FRA. 2006 shall be ensured by Way of prescribed certi ieate from the concerned District Colector	————
10	No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided	————
11	Plantation shall be raised on both sides of the road and median (if available) at the cost of User Ageney according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no 27/2015 in the matter of Babulal Jaju V/S Siate of Rajastahan and others dated 16.11.2015.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचन बद्वता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि शर्त स0-11 के कम में दिये गये निर्देशानुसार उनके द्वारा अपने व्यय पर IRC guidelines and order passed by NGT in OA no 27/2015 व अच्छादित Babulal Jaju V/S Siate of Rajastahan and others dated 16.11.2015 में सडक की दोनो साइड पर तथा मीडियन यदि (उपलब्ध) पर उनके द्वारा वृक्षारोपण किया जायेगा।
12	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Pratected Areas/ Forest Area.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचन बद्वता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि गति सीमा सम्बधी बोर्ड एक नियमित अन्तराल पर उनके द्वारा लगाये जायेंगे।
13	The user agency shall provide suitable under over pass in Protected Area Forest Area as per Tecommendations of CWLW NBWL FAC/ REC.	यदि लागू हो तो प्रयोक्ता अभिकरण बचन बद्वता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
14	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental Protection) Act. 1986. if applicable.	यदि लागू हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय अनुमति उपलब्ध करायें।
15	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचन बद्वता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना ले–आउट प्लॉन में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।
16	No labour camp shall be established on the forest land	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचन बद्वता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगा कि वन भूमि पर कोई श्रमिक कैम्प स्थापित नही किया जायेगा।
17	Sufficient firewood. preferably the alternate fiuel. shall be provided by the User Ageney to the labourer ater purchas ihg the same irom the State Forest Department or the Forest Developnient Corporation or any ather legal source ot alternate fuel.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचन बद्वता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि श्रमिको को वैकल्पिक ईंधन, अन्य व्यवस्था आदि की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा की जायेगी।
18	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on groutnd at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्वता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि उपलब्ध करायेंगे कि प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देशो के अनुसार प्रभावित संरक्षित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर सीमांकन किया जायेंगा।
19	No additional or new path will be constructed inside he forest area for transportation of construction materials for execunon of the project work.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्वता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि परियोजना के निस्पादन हेतु सामग्री को ले जाने हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त मार्ग निर्माण नहीं किया जाये।
20	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of he user agency or the project lite. whichever is less	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्वता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि परियोजना की अवधि प्रयोक्ता अभिकरण या परियोजना के अवधि के पक्ष मे दी जाने वाले पटटे की अवधि जो भी कम हो, पर लागू होगा।
21	The forest land shall not be used for any purpose other than that specitied in the project proposal.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्वता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करायेंगे कि प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में निर्दिष्ट किसी अन्य उद्द्रेश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
22	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be iransterred to any other 4gencies. department or person without prior approval of Covt of india.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचन बद्वता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अन्य ऐजेन्सी, विभाग, या व्यक्ति को प्रस्तावित वन भूमि हस्तातंरित नही की जायेगी।

Scanned with CamScanner

23	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	उक्त क्षेत्र के सी ए, एस एम सी कार्य आदि के के० एम० एल० को ई–ग्रीन वाच को अपलोड किये जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, उन्नाव को कार्यदायी संस्था सहयोग प्रदान करें।
24	Since the stretch of this Expressway is through the districts along river Ganga thus the Forest Department shall prepare a management plan for conservation of Gangetice Dolphin and funds for the same shall be realized from the user agency.	शाहजहापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत गगा नदी के प्रवाह क्षेत्र मे Gangetice Dolphin नही पायी जाती है।
25	Scheme for plantation along both sides of the road shall be prepared by the State Forest Department and funds for raising plantation shall be realised from the user agency and plantation shall be done by State Forest departmeat.	कार्यदायी संस्था शर्त संख्या–25 के अनुपालन मे पूर्व मे उनके द्वारा अपलोड कार्ययोजना के अनुसार धनराशि जमा करायें
26	Certificate needs to be Submitied by the DFO Unnao that non forest land praposed tor CA is Non forest land and the same shall be reetified in DSS Portal of FSI.	प्रभाग से वाछित नही है।
27	the DFO shall certify that 1.68 ha. of non-forest land proposed for CA in Amroha disirict is contiguous to the Forest land.	प्रभाग से वाछित नहीं है।
28	The user aganey will ensure that while constructing the road, the hydrological regimes of the area throgh which the proposed road is passing, would not be adversely affected on accunt of creation of artificial barriers for wetlands/wate bodies and stoppage for natural flew of waters, seasonal drains, channels and streams, the flow of water in the, micro watersheds shall remain undisturbed throughout the year and there would be no stagnation of water along the road. The user agency will submit a detailed plan in this regard approved by the concerned DFO.	शर्त स0–28 के क्रम मे योजना प्रस्तुत करें।
29	The non forest land provided for CA in the proposal no. 38153 of Bundelkhand expressway shall Be Notified as RF/PF and a copy of notification shall be submitte.	शर्त स0–29 के क्रम मे अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करायें।
30	Violation of any of these conditions will amount to violation Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MOEF &CC Guidelne P. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018	कार्यदायी संस्था इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि उक्त समस्त शर्तो का उनके द्वारा अनुपालन किया जायेगा। अनुपालन न हाने की दशा मे उक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
31	Any other condition that the Minstry of Environment. Forests & Climate Chenge may stipulate from time to time in the interest of conservation protection and development of forests & wildile life.	कार्यदायी सस्था इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशानुसार सरक्षण सुरक्षा, विकास का उनके द्वारा पालन किया जायेगा।
32	All the funds receved from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through (http:// parivesh.nic.in)	कार्यदायी सस्था इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि उक्त समस्त निधियां परिवेश पोर्टल के कैम्पा फण्ड मे उनके द्वारा जमा कर दी गयी है।
33	The compliance report shall be uploaded on e-portal (http:// parivesh.nic.in)	कार्यदायी सस्था इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे कि उक्त सनस्त निधियो की अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी।

भवदीय

A Kumar

(आदर्श कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहापुर।

पत्रांक 4869 / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1:– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ।
2:– मुख्य वन संरक्षक एवं रुहेलखण्ड जोन, बरेली, उ0 प्र0।
3:– प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, उन्नाव।

A Kumar

(आदर्श कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शाहजहापुर।

D:\Staf forest\sur\LATTER2.doc

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सा0 वा0 वन एंव वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।

पत्रांक 4339 /14–1 दिनांक, हरदोई, 22-6-2022

सेवा में,

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल अथारिटी,
सी–13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

विषयः– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण मे जनपद अमरोहा मे प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वनभूमि एंव बाधक 3629 वृक्षो के पातन, प्रतापगढ मे प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वनभूमि एंव बाधक 2716 वृक्षो के पातन, रायबरेली मे प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वनभूमि एंव बाधक 47258 वृक्षो के पातन, उन्नाव मे प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वनभूमि एंव बाधक 106144 वृक्षो के पातन, बदायूँ मे प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वनभूमि एंव बाधक 1554 वृक्षो के पातन, शाहजहाँपुर मे प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वनभूमि एंव बाधक 865 वृक्षो के पातन, सम्भल मे प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एंव बाधक 4023 वृक्षो के पातन एंव हरदोई मे प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वनभूमि एंव बाधक 138 वृक्षो के पातन अर्थात परियोजना मे प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एंव बाधक 167166 वृक्षो/पौधो के पातन की अनुमति के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के कार्यालय पत्रॉक–8बी/यू.पी./06/295/2021/एफ.सी./133, दिनॉक–16–06–2022 एंव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय पत्रॉक–3609/11–सी–FP/UP/Road/144793/2021 दिनॉक–17–06–2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो अति0 मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन लखनऊ को सम्बोधित एंव आप सहित इस कार्यालय व अन्य को पृष्ठांकित है। सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद हरदोई के अर्न्तगत प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेस–वे परियोजना के निर्माण से प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग एंव बाधक 138 वृक्षो के पातन हेतु जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र मे उल्लिखित शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है। निहित शर्तो पर अनुपालन आख्या एवं अभिलेख/प्रमाण पत्र उच्च स्तर को उपलब्ध कराने जाने के पश्चात ही प्रश्नगत आरक्षित एंव संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति हेतु विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी।

अतः सन्दर्भित पत्र दिनॉक–16–06–2022 में उल्लिखित बिन्दु सं0–1 से लगायत 33 तक के समस्त शर्तो पर अनुपालन आख्या/वचनबद्वता प्रमाण पत्र पोर्टल पर आनलाइन अपलोड करते हुए वचनबद्धता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को निम्नानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

2– जनपद हरदोई के अर्न्तगत प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण से प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि के बदले ग्राम बेहन्दरखुर्द परगना व तहसील–सण्डीला मे चयनित गाटा संख्या–2797 ड मि0 क्षेत्रफल 4.0552 हे0 गैर वनभूमि को वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरित कर खतौनी की प्रतिलिपि उपलब्ध कराया जाना।

3– प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण से प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि के बदले ग्राम बेहन्दरखुर्द परगना व तहसील–सण्डीला मे चयनित गाटा संख्या–2797ड मि0 क्षेत्रफल 4.0552 हे0 गैर वनभूमि मे क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वॉछित धनराशि– **रू0–31,83,390.0**

4– भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति पत्र के विन्दु सं0–3 के उप विन्दु सं0–2 मे प्रस्तावित गैर वन भूमि गाटा सं0–2797 ड मि0/4.0552 हे0 के स्थान पर गाटा सं0–2797 अंकित हो गया है। शुद्व व सही

गाटा सं0–2797 ड मि0 / 4.0552 हे0 अंकित कराया जाना आवश्यक है ताकि उक्त भूमि का धारा–4 विज्ञप्ति हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

5 **(क)** क्षेत्रफल 4.0552 हे0 भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण कार्य एंव रोपित पौधो का 10 वर्ष तक अनुरक्षण हेतु वॉछित धनराशि **रू0–31,83,390.0** को ऑनलाइन ई–पोर्टल पर चालान के माध्यम कैम्पा खाते मे जमा कर ऑनलाइन ई–रसीद की प्रति मूल मे उपलब्ध कराया जाये।

(ख) प्रस्तावित वन भूमि का सर्वे सीमांकन, **25** सीमा स्तम्भ को लगाये जाने हेतु वॉछित धनराशि **रू0–10,8,325.0**

(ग) गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण से प्रभावित आरक्षित / संरक्षित वन भूमि पर विगत 05 वर्षो मे कराये गये रोपण पर हुई क्षति की धनराशि रू0– **10,13,214.0**

6– प्रभावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि–क्षेत्रफल–6.2873हे0X957780.0 (प्रति हे0 संशोधित दर) **= रू0–60,21,851.0** को ऑनलाइन ई–पोर्टल पर चालान के माध्यम कैम्पा खाते मे जमा कर ऑनलाइन ई–रसीद की प्रति मूल मे उपलब्ध कराया जाये।

अतः उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एंव इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विन्दु सं0–5(क) क्षतिपूरक धनराशि रु0–31,83,390.0 5 (ख) सीमा स्तम्भ व सर्वे सीमांकन हेतु धनराशि रु0–10,8,325.0 एंव विन्दु सं0–6 एन.पी.वी. की धनराशि रु0–60,21,851.0 **कुल धनराशि रू0–93,13,566.0** को **आनलाइन पोर्टल पर ई–चालान** के माध्यम से कैम्पा खाते मे जमा कर आनलाईन ई–रसीद की प्रति मूल मे 05 प्रतियो मे इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करे। विन्दु सं0–5 (ग) हेतु वॉछित धनराशि **रू0–10,13,214.0** का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो प्रभागीय निदेशक, सा0वा0वन एंव वन्य जीव प्रभाग, हरदोई के पक्ष मे देय हो, डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए सन्दर्भित पत्र में इंगित बिन्दु सं0–01 से लगायत 33 तक के समस्त शर्तो पर अनुपालन आख्या / वचनबद्धता प्रमाण पत्र परिवेश पोर्टल पर आनलाइन अपलोड करते हुए वचनबद्धता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(रविशंकर शुक्ल)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन एंव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई।

पत्रांकः– 1339 **/ उक्त दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनॉक–17–06–2022 के कम मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग, उन्नाव (नोडल अधिकारी–गंगा एक्सप्रेस–वे) जनपद–उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रविशंकर शुक्ल)
प्रभागीय निदेशक
सा0 वा0 वन एंव वन्य जीव प्रभाग
हरदोई।

संशोधित

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव

पत्रांक 74 /14–1 दिनांक, 07 जुलाई, 2022

सेवा में,

उपमुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0,
एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी,
लखनऊ।

विषयः– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूं में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहांपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वनभूमि तथा बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 136 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की पत्र सं0–8बी/यूपी/06/295/2021/एफसी/133 दि0–16.06.2022 एवं कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक 3609/11–सी–एफपी/यूपी/रोड/144793/2021 दि0–17.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो अति0 मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, शासन, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित एंव आप सहित इस कार्यालय व अन्य को पृष्ठांकित है। सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद उन्नाव के अन्तर्गत प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1061144 वृक्षों के पातन हेतु जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। निहित शर्तो पर अनुपालन आख्या एवं अभिलेख/प्रमाण पत्र उच्च स्तर को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही प्रश्नगत आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति हेतु विधिवत स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी।

अतः सन्दर्भित पत्र दि0–16.06.2022 में उल्लिखित बिन्दु सं0–01 से 33 तक के समस्त शर्तो पर अनुपालन आख्या/वचनबद्वता प्रमाण पत्र पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करते हुए वचनबद्वता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को निम्नानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

2– जनपद हरदोई के अन्तर्गत प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण से प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वनभूमि के बदले ग्राम कैथोली गाटा सं0–849, 1075ड.गि, शंकरपुर गाटा सं0–235, गोडवा गाटा सं0 139ड., 132, 122, 142ड सिल्ही गाटा सं0–149, 151, 159छ, 241, 247, 252ख, पुरथ्यावां गाटा सं0–1527, 1531ख, 462क 344, 448ग 487, 506, 496, 1973, रूपऊ गाटा सं0–3880, 3881, 3935, 3934, 3917 कटरी मझराभिखना गाटा सं0–3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40मि, 41, 42 रूपपुर गाटा सं0–530, 531, 532, 533, 534, 535, 536क, 539ख, 540, 541, 542, 543मि मखदूमपुर गाटा सं0–395क, 398, 393ख 395ख क्षेत्रफल 61.3621 हे0 गैर वनभूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित कर खतौनी की प्रतिलिपि, नक्शा

(क्लाथ/ट्रेसिंग पेपर पर) नक्शे पर रकबा चिन्हित कराते हुए यदि मिनजुमला नम्बर है तो सभी खातेदारो की खतौनी, लेखपाल की आख्या, नजरी नक्शा चौहद्दी सहित तथा आकार प्रपत्र 41 व 45 उपलब्ध कराया जाना।

3-- प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण से प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि के बदले ग्राम कैथोली गाटा सं0--849, 1075ड.मि. शंकरपुर गाटा सं0--235, गोडवा गाटा सं0--139ड, 132, 122, 142छ ताल्ही गाटा सं0--149, 151, 159छ, 241, 247, 252ख, पुरथ्यावां गाटा सं0--1527, 1531ख, 462क, 344, 448ग, 487, 506, 496, 1973, रूपऊ गाटा सं0--3880, 3881, 3935, 3934, 3917 कटरी गझराभिखना गाटा सं0--3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40मि, 41, 42 रूपपुर गाटा सं0--530, 531, 532, 533, 534, 535, 536क, 539ख, 540, 541, 542, 543मि गखदूमपुर गाटा सं0--395क, 398, 393ख, 395ख **क्षेत्रफल** 61.3621 हे0 गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वांछित धनराशि-- **रू0--2,61,16,500.00**

4 (क) क्षेत्रफल 61.3621 हे0 भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण कार्य एवं रोपित पौधों का 10 वर्ष तक अनुरक्षण हेतु वांछित धनराशि **2,61,16,500.00** को ऑनलाइन ई--पोर्टल पर चालान के माध्यम से कैम्पा खाते में जमा कर ऑनलाइन ई--रसीद की प्रति मूल में उपलब्ध कराया जाये।

(ख) प्रस्तावित वन भूमि का सर्वे सीमांकन **500** सीमा स्तम्भ को लगाये जाने हेतु वांछित धनराशि **रू0--21,66,500.00**

(ग) गंगा एक्सप्रेसवे के संरेखण से प्रभावित आरक्षित/संरक्षित वनभूमि पर विगत 05 वर्षो में कराये गये रोपण पर हुई क्षति की धनराशि रू0--**43,26,900.00**

5. प्रभावित वन भूमि का **शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि--क्षेत्रफल--67.7839हे0x957780** (प्रति हे0 **संशोधित दर) रू0--6,49,22,064.00** को ऑनलाइन ई--पोर्टल पर चालान के माध्यम से कैम्पा खाते में जमा कर ऑनलाइन ई--रसीद की प्रति मूल में उपलब्ध कराया जाये।

अतः उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि बिन्दु सं0--4(क) **क्षतिपूरक धनराशि** रू0--2,61,16,500.00 **(ख) सीमा स्तम्भ व सर्वे सीमांकन हेतु धनराशि रू0--21,66,500.00 एवं बिन्दु सं0--5** एन0पी0वी0 **की धनराशि रू0--6,49,22,064.00 कुल धनराशि 9,32,05,064.00 (रू0 नौ करोड़ बत्ती लाख पांच हजार चौसठ** मात्र) को ऑनलाइन पोर्टल पर ई--चालान के माध्यम से कैम्पा खाते में जमा कर ऑनलाइन ई--रसीद की प्रति मूल में 05 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें। बिन्दु सं0--4(ग) हेतु वांछित धनराशि रू0--**43,26,900.00** का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव के पक्ष में देय हो, डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए सन्दर्भित पत्र में इंगित बिन्दु सं0--01 से 33 तक के समस्त शर्तो पर अनुपालन आख्या/वचनबद्वता प्रमाण पत्र परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करते हुए वचनबद्वता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को 05--05 प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

भवदीया,

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

पत्रांक 74 **/समदिनांक**

प्रतिलिपिः-- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दि0--17.06.2022 के क्रम में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः-- मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ0प्र0, लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग,
उन्नाव

संशोधित

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, पर्यावरण,वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग, रायबरेली

पत्रांक- 11 /14-10-4 रायबरेली, दिनांक- जुलाई, 01, 2022

सेवा में,

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी,
सी-13, द्वितीय तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ-226010 ।

विषय- **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट अथारिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूं में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजांपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में ।**

संन्दर्भ- ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/144793/2021, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/133 दिनांक-16.06.2022 एवं कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक-3609/11-सी-FP/UP/Road/144793/2021 दिनांक-17.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो आपको भी पृष्ठांकित है के संबंध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या-**5,6** एवं **18** के अनुपालन के क्रम में उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के सरेखण में रायबरेली वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 23.552 हे0 आरक्षित एवं 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सापेक्ष यूपीडा द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली गैर वन भूमि (ग्राम-हरीपुर एह0, तहसील-लालगंज, जिला-रायबरेली) में प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षण, एन0पी0वी0 तथा सीमांकन पिलर लगाये जाने हेतु जमा करायी जाने वाली धनराशियों का प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित है। कृपया वांछित धनराशि निम्न प्रकार ई-पोर्टल के माध्यम से निर्गत ई-चालान द्वारा कैम्पा निधि में जमा कराने का कष्ट करें।

1- शर्त संख्या-5 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा की जाने वाली धनराशि का विवरणः-

क्र0 सं0	प्रभाग	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित गैर वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0 में)	धनराशि (रु0 में)
1-	रायबरेली वन प्रभाग (भूमि गाटा संख्या-11मि0, 12मि0, 51मि0, 52, 61मि0, 142, 144, 145मि0, 147मि0, 622मि0, 624मि0, 630मि0, 633मि0, 643मि0, 644 व 645 ग्राम-हरीपुर एह0, तहसील-लालगंज, जिला-रायबरेली)	27.2310	8404342.00

2- शर्त संख्या-6 के अनुसार एन0पी0वी0 (नेट प्रेजेन्ट वैल्यू) हेतु जमा की जाने वाली धनराशिः-

क्र0 सं0	प्रभाग	प्रभावित कुल वन भूमि का क्षेत्रफल (हे0 में)	संशोधित दर (प्रति हे0)	धनराशि (रु0 में)
1-	रायबरेली वन प्रभाग	29.7266	957780	28471543

3- शर्त संख्या-18 के अनुसार सीमांकन पिलर लगाये जाने हेतु जमा की जाने वाली धनराशिः-

क्र0 सं0	प्रभाग	सीमांकन पिलर की संख्या	दर (प्रति पिलर)	धनराशि (रु0 में)
1-	रायबरेली वन प्रभाग	250	5142	1285500

कृपया उपरोक्त उल्लिखित धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से निर्गत ई-चालान द्वारा कैम्पा के पक्ष में जमा कराने के उपरान्त निर्गत ई-रिसिप्ट तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के सापेक्ष बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रमाणित कर 06 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे अग्रेत्तर कार्यवाही शीघ्र सम्भव हो सके।

संलग्नकः-इस कार्यालय के पत्रांक-9089/14-10-4 दिनांक-30.06.2022 द्वारा पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है ।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र पाण्डेय)
प्रभागीय निदेशक,
पर्यावरण,वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग,
रायबरेली

पत्रांक- ।। / तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1-मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ0प्र0, लखनऊ ।
2-प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, उन्नाव ।

(सुरेश चन्द्र पाण्डेय)
प्रभागीय निदेशक,
पर्यावरण,वन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाग,
रायबरेली

रजिस्टर्ड

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 वन एवं वन्य जीव प्रभाग, प्रतापगढ़।

पत्रांक 3619 /15-1 दिनांक,प्रतापगढ़, जून 24, 2022।

सेवा में,

उपमुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट अथारिटी,
लखनऊ

विषयः- उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 है0 आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबरेली में प्रभावित 23.552 है0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.1746 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 है0 आरक्षित वनभूमि तथा 6.4218 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 830 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 है0 आरक्षित एवं बाधक 865 वृक्षों के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 136 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 है0 आरक्षित वनभूमि तथा 2.2322 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात परियोजना में प्रभावित 90.6492 है0 आरक्षित वनभूमि तथा 30.8224 है0 संरक्षित वनभूमि कुल 121.4716 है0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/205/2021/एफ0सी0/133 दिनांक 16.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र जो अप0 मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन,बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित को एवं मुख्य वन संरक्षक नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ एवं आपको तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित है का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में जनपद प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 है0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, की गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा निहित शर्तों एवं प्राविधानों के तहत प्रदान की गयी है।

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-4 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) (1.0749 है0X957780.00) रू0 1029517.72 अर्थात् रू0 10,29,518.00 की धनराशि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा धनराशि की रसीद संलग्नकर अनुपालन आख्या के साथ इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
2. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त-25 के कम में प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र सक्षम स्तर द्वारा प्रस्तुत करें कि गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ पंक्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि एवं वृक्षारोपण की धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त संलग्न सैद्धान्तिक स्वीकृति जो आपको पृष्ठांकित है में अंकित बिन्दु सं0-1 से 33 तक की अनुपालन आख्या/प्रमाण-पत्र 05 प्रतियों में इस कार्यालय को प्रस्तुत करें जिससे कि विधिवत् स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को भेजा जा सके।

भवदीय

(वरुण सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सा0वा वन एवं वन्य जीव प्रभाग
प्रतापगढ

संख्या 3619 /समदिनांकित।

प्रतिलिपि-वन संरक्षक,प्रयागराज वृत्त, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(वरुण सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सा0वा वन एवं वन्य जीव प्रभाग
प्रतापगढ

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चित्रकूट वन प्रभाग, चित्रकूट

पत्रांक 4410/33–1/ चित्रकूट दिनांक जून, 20 2022

सेवा में

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेन्ट अथॉरिटी,
लखनऊ।

विषयः—उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में जनपद अमरोहा में प्रभावित 1.68 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं बाधक 3629 वृक्षों के पातन, प्रतापगढ़ में प्रभावित 1.0749 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2716 वृक्षों के पातन, रायबेली में प्रभावित 23.552 हे0 आराक्षित वन भूमि तथा 6.1746 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 47258 वृक्षों के पातन, उन्नाव में प्रभावित 61.3621 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 6.4218 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 106144 वृक्षों के पातन, हापुड़ में प्रभावित 2.0342 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 839 वृक्षों के पातन, बदायूँ में प्रभावित 4.9257 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1554 वृक्षों के पातन, शाहजहाँपुर में प्रभावित 3.907 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 865 वृक्षें के पातन, सम्भल में प्रभावित 4.052 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 4023 वृक्षों के पातन एवं हरदोई में प्रभावित 4.0551 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 2.2322 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 138 वृक्षों के पातन अर्थात् परियोजना में प्रभावित 90.6492 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 30.8224 हे0 संरक्षित वन भूमि कुल 121.4716 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव बाधक 167166 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः—भारत सराकर के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र संख्या—8बी/यू0पी0/06/295/2021/एफ0सी0/133 दिनांक 16.06.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 वन विभाग का पत्र संख्या—3609/11—सी—FP/Up/Road/144793/2021 दिनांक 17.06. 2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो अधोहस्ताक्षरी के साथ आपको भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में प्रभावित 30.8224 हे0 संरक्षित वन के स्थान पर चित्रकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत कोटा कण्डेला वन ब्लॉक में 25.00 हे0, दादरी वन ब्लॉक में 17.00 हे0 एवं काजीपुर बदौसा वन ब्लॉक में 20.00 हे0 अर्थात कुल 62.00 हे0 अवनत वन (DFL) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण यूजर एजेन्सी के धन पर कराने के लिए भारत सरकार ने अपने उपरोक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में आदेशित किया है।

प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा 62.00 हे0 अवनत वन (DFL) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए रू0 37204600.00 की धनराशि ऑनलाईन पोर्टल के द्वारा जनरेट चालान के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा कराने का कष्ट करें एवं चालान की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(आर0के0दीक्षित)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चित्रकूट वन प्रभाग,
चित्रकूट

4410

पत्रांक / दिनांकित।

1. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, उन्नाव वन प्रभाग, उन्नाव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0के0दीक्षित)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चित्रकूट वन प्रभाग,
चित्रकूट